[1]संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967

(सं0 आ0 78)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात्, अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :--

1. यह आदेश संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 कहा जा सकेगा ।

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय, या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के युथ, जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं भारत के संविधान के प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में वहां तक जहां तक कि उनके सदस्यों का संबंध है जो उस राज्य में निवासी हैं, अनुसूचित जनजातियां समझे जाएंगे ।

अनुसूची

1. भोटिया
2. बुक्सा
3. जैनसरी
4. राजी
5. थारू

[2][6.गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज गोंड (महराजगंज, सिद्वार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलो में)

7. खरवार, खैरवार (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों में)
8. सहरया (ललितपुर जिले में)
9. पराहिया (सोनभद्र जिले में)
10. बैगा (सोनभद्र जिले में)
11. पंखा, पनिका (सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में)
12. अगरिया (सोनभद्र जिले में)
13. पटारी (सोनभद्र जिले में)
14. चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों में)
15. भुइया, भुनिया (सोनभद्र जिले में) ।]

---

[1] विधि मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0 का0 नि0 960, तारीख 24 जून, 1967, भारत के राजपत्र, असाधारण, 1967, भाग 2, खंड 3(i), पृष्ठ 311 में प्रकाशित ।

[2] 2003 के अधिनियम सं0 10 की धारा 4 और दूसरी अनुसूची द्वारा अंतःस्थापित ।